

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./11/ए/2008/586
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/9/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला

मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कभियां पाई गई है। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	सं.शा.शि. 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. का आदेश संलग्न है या नहीं	रिमारक
	1	2	3	4	5
1	श्री बृजेश चन्द्र उपाध्याय वरिष्ठ अध्यापक (भौतिकी) (विकलांग) शा.क.उ.मा.वि. कोलारस जिला शिवपुरी	नगर पंचायत कोलारस जिला शिवपुरी जा.क्र. 202 दि. 28.05.08	नगर पालिक निगम ग्वालियर जिला ग्वालियर जा.क्र. 933 दि. 19.09.08 शा.उ.मा.वि. उत्कृष्ट मुरार क्र. 1	संलग्न है।	जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर से रिक्त पद/विषयमान की पुष्टि उपरांत वियार किया जाएगा।
2	श्री मनोज जैन अध्यापक (विकलांग) शा.मा.वि. होली फल्या सुलगावजिला बड़वानी	जनपद पंचायत निवाली जिला बड़वानी जा.क्र. 2261 दि. 26.09.08	नगर पंचायत बामौर जिला मुरैना जा.क्र. 1154 दि. 10.09.08 शा.उ.मा.वि. बानमौर	संलग्न है।	कार्यरत निकाय की अनापत्ति जिला पंचायत द्वारा जारी नहीं है एवं विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि नहीं है।
3	श्री हरिहर प्रसाद उदौनियां अध्यापक शा.मा.वि. जरगवांचक जिला शिवपुरी	जनपद पंचायत करेशा जिला शिवपुरी जा.क्र. निरंक दि. निरंक	जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र. 1050 दि. 01.08.08 शा.मा.वि. बुधैडा शा.मा.वि. कुम्हैडी शा.मा.वि. रेडा	संलग्न है।	अध्यापक संवर्ग के संविलियन हेतु जिला पंचायत की अनापत्ति एवं विकलांग प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि नहीं है।
4	श्रीमती निशा शर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. श्रीपुरा जिला श्योपुर	जनपद पंचायत कराहल जिला श्योपुर जा.क्र. 916 दि. 23.05.09	जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र. 1576 दि. 05.06.09	संलग्न है।	संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम नहीं है।
5	श्री मांगीलाल सोलंकी अध्यापक शा.मा.शा. छतरपुर जिला धार	जिला पंचायत धार जिला धार जा.क्र. 483 दि. 21.07.08	जनपद पंचायत चांवरपाठा जिला नरसिंहपुर जा.क्र. 733 दि. 19.06.09 शा.नवीन हाईस्कूल कापसी शा.मा.वि. कापसी	संलग्न है।	संविलियन निकाय की अनापत्ति जिला पंचायत की नहीं है।
6	श्री हरभजन सिंह जाटव अध्यापक	जनपद पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क्र. 222 दि. 11.02.09	जनपद पंचायत भाण्डेर जिला दतिया जा.क्र. 1405 दि. 17.02.09	संलग्न है।	पात्रता नहीं है।

	शा.मा.वि. लालगढ जिला शिवपुरी		शा.मा.वि. बरचौली शा.मा.वि. तिगरा खिरिया		
7	श्रीमती चंचल बलैया अध्यापक शा.मा.वि. खैरी बेगमगंज जिला रायसेन	जनपद पंचायत बेगमगंज जिला रायसेन जा.क्र. 1234 दि. 15.07. 08	जिला पंचायत सीहोर जिला सीहोर जा.क्र. 5805 दि. 30.08.08 शा.हाईस्कूल बिल्किसगंज	संविलियन आदेश संलग्न है।	कार्यरत निकाय की अनापत्ति जिला पंचायत की नहीं है।
8	श्रीमती शर्मिला थालाधरे, सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. सुसवा जिला बालाघाट	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	दोनों निकाय की अनापत्ति एवं संविलियन/ नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
9	श्रीमती उर्वशी सैयाम, सहायक अध्यापक, शा.प्रा.शा. खमरिया जिला सिवनी	जनपद पंचायत छपारा जिला सिवनी जा.क्र. 464 दि. 13.06.09	नगर पंचायत सौसर जिला छिदवाडा जा.क्र. 217 दि. 16.06.09 शा.प्रभावती मानेकर कन्हान ज्ञानपीठ शाला (उमावि) सौसर	नियुक्ति/ संविलियन के आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।	नियुक्ति/ संविलियन के आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
10	श्रीमती बविता मिहोलिया अध्यापक शा.मा.वि. उददनखेडा जिला भिण्ड	जनपद पंचायत अटेर जिला भिण्ड जा.क्र. क्यू-1 दि. 14.08. 08	जनपद पंचायत कारापीपल जिला शाजापुर जा.क्र. 263 दि. 11.06.09 शा.उ.मा.वि. खोकराकला	नियुक्ति/ संविलियन के आदेश की प्रति संलग्न है।	दोनों निकाय की अनापत्ति जिला पंचायत की अपेक्षित है।
11	श्रीमती सरला शर्मा अध्यापक शा.मा.वि. तोरनोद जिला धार	जनपद पंचायत धार जिला धार जा.क्र. 836 दि. 10.06.09	नगर पंचायत आलोट जिला रतलाम जा.क्र. 92601 दि. 23.05.09 शा.मा.वि. प्रेमिलागंज आलोट शा.मा.क.वि. आलोट	नियुक्ति/ संविलियन के आदेश की प्रति संलग्न है।	कार्यरत निकाय की अनापत्ति जिला पंचायत की अपेक्षित है एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/ संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
12	श्रीमती सरोज राय वरिष्ठ अध्यापक शा.उ.मा.वि. बसाडी बडवारा जिला कटनी	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र. 7431 दि. 08.11. 08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 6689 दि. 16.07.08 शा.उ.मा.वि. सालीवाडा	नियुक्ति/ संविलियन के आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।	नियुक्ति/ संविलियन के आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
13	श्रीमती सुशीला यादव सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. छाता जिला शहडोल	जनपद पंचायत सोहागपुर जिला शहडोल जा.क्र. 1747 दि. 25.06. 09	नगर पंचायत चंदिआ जिला उमरिया जा.क्र. 454 दि. 01.07.09 शा.प्रा.शा. बेसहनी	नियुक्ति/ संविलियन के आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।	नियुक्ति/ संविलियन के आदेश की प्रति संलग्न नहीं है।
14	श्रीमती राधा इवने सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. डेण्डूपुरा जिला बैतूल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	दोनों निकाय की अनापत्ति एवं संविलियन/ नियुक्ति आदेश की प्रति अपेक्षित है।

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकता है। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमीपूर्ति हेतु पुनः आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

उक्तानुसार कार्यवाई समयसीमा में एक सप्ताह में सुनिश्चित कराएं।

कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/11/09 | 587

भोपाल, दिनांक 4/9/09

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।


कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./45/ए/2009 | 588

भोपाल, दिनांक 4/9/09

प्रति,
जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला रीवा,
मध्यप्रदेश

विषय:—अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई उपरांत कमीपूर्ति के संबंध में।

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई हैं। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र	शिक्षा कर्मियों का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	सं.शा.शि. 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. का आदेश संलग्न है या नहीं	रिमार्क
	1		3	4	5
1	श्रीमती हेमलता सिंह अध्यापक शा.न.पू.मा.वि. पहाडी जिला रीवा	जनपद पंचायत अंतर्जिला रीवा जा.क्र. 597 दि. 23.07.09	जनपद पंचायत नागौद जिला सतना जा.क्र. 196 दि. 03.02.09	नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न है।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ दोनों निकायों द्वारा जारी जिला पंचायत की अनापत्ति संलग्न नहीं की गई है।

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकेगा। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमीपूर्ति हेतु पुनः आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4/9/09

पृष्ठा.क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/45/09 | 589

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./7-10/ए/2009
प्रति,

1590

भोपाल, दिनांक

4/6/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला अशोकनगर एवं सागर,
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन के आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई उपरांत कमीपूरति के संबंध में।

—0—

अध्यापक संवर्ग के अंतर्जिला संविलियन हेतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का मध्यप्रदेश शासन, सकूल शिक्षा विभाग के आदेश/ज्ञाप दिनांक 08.11.05, 21.12.05 एवं 26.04.08 के अंतर्गत परीक्षण उपरांत आपके जिले के निम्न तालिका में अंकित आवेदन के सामने कॉलम-5 में उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की कमियां पाई गई हैं। ऐसे आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	शिक्षा कर्मी का नाम वर्ग (अध्यापक संवर्ग) एवं कार्यरत शाला का नाम	कार्यरत निकाय का नाम	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम	सं.शा.शि. 1,2,3 से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संवि. का आदेश संलग्न है या नहीं	रिमार्क
	1	2	3	4	5
1	श्री हरज्ञान सिंह वर्मा सहायक अध्यापक शा.क.उ.मा.वि. मुंगावली जिला अशोकनगर	नगर पंचायत मुंगावली जिला अशोकनगर जा.क्र. 6291 दि. 06.07.09	जनपद पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क्र. 624 दि. 05.06.09 शा.नवीन हाई. तानपुर	नियुक्ति/संविलियन आदेश संलग्न है।	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.04.08 में प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण अमान्य किया जाता है।
2	श्रीमती संगीता ठाकुर अध्यापक शा.वा.प्रा.शा. बोंदरी जिला सागर	जनपद पंचायत मालथान जिला सागर जा.क्र. 1674 दि. 18.06.09	जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला रायसेन जा.क्र. 1198 दि. 03.07.09 शा.गा.प्रा.शा. रतनपुर टोला शा.मा.वि. चिकलोदकलां	नियुक्ति/संविलियन आदेश संलग्न नहीं है।	आवेदिका द्वारा दोनों निकाय द्वारा जारी जिला पंचायत की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश संलग्न नहीं है। अतएवं संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।

अतः उक्त तालिका में अंकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कॉलम-5 के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाते हैं तो (अमान्य) को छोड़कर उनके द्वारा चाहे गये अंतर्जिला संविलियन की अनुमति पर विचार किया जा सकेगा। तालिका में दर्शित जिन आवेदकों का संचालनालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी हो चुका है उनके द्वारा कमीपूरति हेतु पुनः आवेदन/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक/अध्या.संवर्ग/संवि./ए/7-10/09 | 591

भोपाल, दिनांक 4/9/09

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उक्त तालिका अनुसार आपके जिले से संबंधित आवेदकों को तालिका के कॉलम-5 की स्थिति से अवगत कराएं।
4. संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।
5. कम्प्यूटर समन्वयक स्थानीय की ओर आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

Muly
कृते: संचालक लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश